भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1377

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बरेली में नया उद्योग

1377. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बरेली में हस्तशिल्प और बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विशेष रूप से बरेली में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए नए उद्योग स्थापित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) : उद्योग राज्य से संबंधित विषय है। तथापि, केंद्र सरकार समय-समय पर कई पहलें और नीतियां तैयार करती है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न हिस्सों में औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम [एनएचडीपी]" और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम [सीएचसीडीएस] को कार्यान्वित करता है और उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली सहित देशभर में विपणन सहायता, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचनात्मक और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान और विकास सहायता आदि के माध्यम से शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, कई स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है ताकि इससे हस्तशिल्प और बांसुरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके और स्थानीय बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार/रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,
ii. मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार स्कीम,
iii. एक जिला एक उत्पाद मार्जिन मनी स्कीम,
iv. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास कार्यक्रम,
v. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,
vi. एक जिला एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट स्कीम,
vii. हस्तशिल्प विपणन सहायता स्कीम।

(ख) : राज्य में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने दिनांक 28.09.2022 को एमएसएमई नीति-2022 लागू की है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- बरेली सहित उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रमशः 20 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की पूंजी सब्सिडी का प्रावधान और एससी/एसटी तथा महिला उद्यमियों को 2 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी सब्सिडी का प्रावधान।
- राज्य में औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं, जैसे 10 से 50 एकड़ के एमएसएमई पार्क और पैलेटाइज्ड फैक्टरी के विकास पर विशेष बल दिया है। इसके लिए, डेवलपर द्वारा लिए गए ऋण पर 2.00 करोड़ प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक 07 वर्ष की अवधि के लिए 50 प्रतिशत तक ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है।
- पश्चिमांचल क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए, 75 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी प्रदान करने का प्रावधान है। राज्य की महिलाओं के लिए 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी प्रदान करने का प्रावधान है।
- इस नीति के तहत, राज्य में स्थापित किए जाने वाले नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजीगत ब्याज सब्सिडी के संबंध में, 5 वर्ष के लिए प्रति इकाई 25 लाख रुपए की अधिकतम राशि तक के ऋण पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत प्रदान करने का प्रावधान है।

(ग) : उत्तर प्रदेश सरकार, कई स्कीमों के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं -

- **<u>मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार स्कीम</u>**

  इस स्कीम के तहत, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 25 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए 25 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। वित्त वर्ष 2024-25 में 8500 इकाइयों की स्थापना हेतु 17000.00 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

- **<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम</u>**

  प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र/बिजनेस के चिन्हित और चयनित क्षेत्रों के लिए 20 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाएं स्थापित करके युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत, 15 से 35 प्रतिशत तक मार्जिन मनी/सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में, इस स्कीम के तहत, 2002 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 7,636.66 लाख रुपए की मार्जिन मनी जारी की गई।

- **<u>एक जिला एक उत्पाद वित्त पोषण स्कीम</u>**

  इस स्कीम के तहत, जिले के चिन्हित ओडीओपी उत्पादों के समग्र विकास हेतु परियोजना लागत का 10 से 25 प्रतिशत मार्जिन मनी/सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है।

- **<u>विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना</u>**

  इस योजना के तहत, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत कारीगरों एवं परम्परागत हस्तशिल्पियों की कला को प्रोत्साहन प्रदान करने एवं उन्हें बढ़ावा देने तथा वित्त वर्ष 2024-25 में उनकी आय में बढ़ोतरी करने के लिए 75,000 के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में 22,500.00 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

- **<u>मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान</u>**

  इस स्कीम के तहत, वित्त पोषण की तारीख से अगले 04 वर्ष की अवधि के लिए, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की परियोजना लागत या अधिकतम 5.00 लाख रुपए तक, इनमें से जो भी कम हो, के संबंध में बैंक/वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण पर 100 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

- **<u>हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन स्कीम</u>**

  इस स्कीम के तहत, राज्य के हस्तशिल्पियों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलों में भाग लेने के प्रयोजन से परिवहन व्यय एवं स्टॉल लगाने के लिए किराए की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सहायता के रूप में 10,000/- रुपए प्रति मेले की दर से अधिकतम 02 मेलों के लिए 20,000/- रुपए की राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

*****